महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय,अजमेर

प्रबन्ध बोर्ड की 68वीं बैठक
कार्यवृत्त(Minutes)

दिनांकः 08.01.2010 **समयः प्रातः 11.30 बजे**

प्रबन्ध बोर्ड की 68वीं बैठक दिनांक 08.01.2010 प्रातः 11.30 बजे बृहस्पति भवन स्थित प्रबन्ध बोर्ड बैठक कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुएः–

01.	प्रोफेसर भगीरथ सिंह, कुलपति	अध्यक्ष
02.	श्री एम.एल. पीतलिया, भीलवाड़ा (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष)	सदस्य
03.	प्रो. के.सी. शर्मा, अजमेर (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित आचार्य)	सदस्य
04.	प्रोफेसर रमाकांत, जयपुर (कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्)	सदस्य
05.	प्रोफेसर पी.एस. वर्मा, जयपुर (राजस्थान सरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्)	सदस्य
06.	श्री रघुनन्दन शर्मा (डॉ. रघु शर्मा) विधायक, केकड़ी (विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित)	सदस्य
07.	श्री तपेश पंवार, शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर	सदस्य
08.	श्री बी.एल. सुनारिया कुलसचिव	सदस्य सचिव

<u>अनुपस्थित सदस्य</u>

01.	श्री कमल बैरवा, विधायक निवाई (टौंक) (विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित)	सदस्य
02.	संभागीय आयुक्त (शासन सचिव वित्त विभाग राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि)	सदस्य
03.	शासन सचिव, योजना विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर	सदस्य
04.	निदेशक (आयुक्त), महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान, जयपुर	सदस्य

सर्वप्रथम बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व दिवंगत महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय श्री एस.के. सिंह के निधन पर दो मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजली दी गई। पश्चिमी क्षेत्रीय अन्तर्विश्वविद्यालय टेनिस (पुरुष) प्रतियोगिता 2009–10 के सफल आयोजन हेतु प्रबंध बोर्ड ने माननीय कुलपति महोदय को तथा स्पोर्ट्स बोर्ड के माननीय अध्यक्ष व विश्वविद्यालय परिवार को धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रबंध बोर्ड की कार्यसूची पर निम्नानुसार निर्णय किया गयाः–

मद संख्या	**विवरण**	**संबंधित अनुभाग**
मद संख्या 1	प्रबन्ध बोर्ड की 67वीं बैठक दिनांक 27.11..2009 कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना । उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ. 13 (66) शैक्ष.1/ मदसविवि / 2009/54830–40 दिनांक 16.12.2009 द्वारा प्रेषित की गयी ।	**शैक्षणिक–I**
निर्णय	**प्रबंध बोर्ड की 67वीं बैठक दिनांक 27–11–2009 के कार्यवृत्त की पुष्टि निम्न प्रेक्षणों के साथ की** :–	
	1. **मद सं. 4** के निर्णय में मद सं. 6 पर प्रेक्षण **"बिन्दु सं. 3 को विलोपित किया जाए।"** पंक्ति निरस्त मानी जाए।	**संस्थापन**
	2. **मद सं. 5** पर निर्णय इन शब्दों में लिखा हुआ पढ़ा जाए "**उक्त प्रस्ताव छठे वेतन आयोग की दिनांक 1–9–2006 से निम्नानुसार स्वीकार किया गया**" शेष तालिका यथावत्।	**संस्थापन**
	3. **मद सं. 8** निर्णय की दिनांक 11–10–2008 के स्थान पर 11–06–2008 पढ़ी जाए।	**संस्थापन**
	4. **मद सं. 9** को यह पढ़ा जाए कि, "**विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के कनिष्ठ लिपिक के बैकलॉग के रिक्त 6 पद, जो सीधी भर्ती के हैं, पर नियुक्ति किए जाने पर विचार करना।**"	**संस्थापन**
	5. **मद सं. 11** पर निर्णय को यह पढ़ा जाए कि **"भूतपूर्व सैनिक जो मिलिट्री पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें पूर्व सैनिक अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर इस विश्वविद्यालय में की गई सेवा की नियमानुसार पेंशन दे दी जावे।"**	**संस्थापन**
	6. **मद सं. 21** में कार्यसूची का परिशिष्ठ XVI इस बैठक के **कार्यवृत्त के परिशिष्ठ–I** के अनुसार स्वीकार किया माना जावे।	**संस्थापन**

7. **मद सं. 24** पर निर्णयः मद सं. 24 पर निर्णय को यह पढ़ा जाए कि **'उक्त प्रस्ताव अस्वीकार किया गया एवं विजिटिंग प्रोफेसर को रु. 15000/– प्रतिमाह और सेवानिवृत्त शिक्षकों को रु. 10000/– प्रतिमाह मानदेय दिए जाने का निर्णय किया। यह भी निर्णय किया कि, यदि शिक्षक आवास खाली हों तो विजिटिंग फैलो/विजिटिंग प्रोफेसर को निःशुल्क आवास सुविधा दे दी जाए।** — **संस्थापन**

8. **मद सं.** 44 पर निर्णय को इन शब्दों में लिखा हुआ पढ़ा जाए **''परीक्षा कार्यो के लिये प्रति बण्डल पारिश्रमिक की दर रु. 1.50 से बढ़ाकर रु 4.00 किये जाने का निर्णय किया ।''** — **परीक्षा/ संस्थापन**

मद संख्या 2 दिनांक 27.11.2009 को संपन्न 67वीं बैठक के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–I)** (Action Taken Report) का अनुमोदन करना । — **शैक्षणिक–I**

निर्णय **दिनांक 27.11.09 को सम्पन्न 67वीं बैठक के कार्यवृत्त की अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया।**

मद संख्या 3 बजट निर्णायक समिति सत्र 2009–10 द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए आयोजना भिन्न मद मे अनुदान की राशि रूपये 340.00 लाख तय की गई थी जिसमें छठे वेतन आयोग का एरियर सम्मिलित नहीं था । इस अनुदान के अंतर्गत अभी तक राज्य सरकार से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है और शासन उपसचिव–उच्च शिक्षा विभाग ने पत्र क्रमांक प.1(9) उच्च शिक्षा–5/2009/दिनांक 29.10.2009 **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–II)** द्वारा सूचित किया कि आयोज्य वर्ष की प्रथम एवं द्वितीय किश्त की राशि रूपये 170.00 लाख की स्वीकृति का प्रस्ताव वित्त विभाग ने इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया है कि विश्वविद्यालय के पास पर्याप्त राशि उपलब्ध है । अतः उक्त स्थिति से अवगत होते हुए निर्णय करना । — **विवले**

निर्णय **ब्लॉक ग्रांट जारी करवाने बाबत राज्य सरकार को पत्र प्रेषित किया जाये। बैठक में यह भी निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में वित्त नियंत्रक का पद विगत तीन–चार माह से रिक्त पड़ा है। अतः इस पद पर नियुक्ति बाबत राज्य सरकार को पत्र भेजा जावे ।**

मद संख्या 4 श्री राजेश चन्द्र पुरोहित, कार्यालय सहायक, विवले से प्राप्त पत्र दिनांक 23.01.2009 **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–III)** में वर्णित कारणों पर विचार करते हुए श्री पुरोहित को दिनांक 23.05.2006 से दिनांक 30.06.2006 तक कुल 39 दिन की अवधि के लिए विश्वविद्यालय के अवकाश नियम संख्या 33 के अन्तर्गत Leave not due दिये जाने की प्रार्थना पर विचार करना । **संस्थापन**

निर्णय **श्री राजेश पुरोहित को Leave not due देने के प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया तथा इन्हें Extra Ordinary Leave स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।**

मद संख्या 5 प्रबन्ध बोर्ड की निर्णय सं. 14 दिनांक 26.06.2006 की अनुपालना में डॉ. एन.एम. खण्डेलवाल को जारी कारण बताओ नोटिस क्रमांक एफ ( )पीए/ कुलसचिव/ मदसविवि/ 2006/ 1445 दिनांक 5.10.2006 के उत्तर में प्राप्त प्रत्युत्तर पर निम्नांकित दस्तावेजों के साथ विचार कर निर्णय हेतु प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड की दिनांक 11.06.2008 को आयोजित बैठक में मद संख्या 7 पर प्रस्तुत किया गया था, जिसे आगामी बैठक में विचार हेतु रखा गया । अतः स्थगित मद पर निर्णय करना : **संस्थापन**

1. कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1 ( )संस्था/ मदसविवि/ 2002/6864 दिनांक 12.09.2002 के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 24.10.2002 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्तकी प्रति । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–IV)**

2. डॉ. खण्डेलवाल को ज्ञापन क्रमांक एफ 1 ( )संस्था/ मदसविवि/2002/285 दिनांक 24.10.2002 के अन्तर्गत प्रस्तुत आरोप–पत्र की प्रति । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–V)**

3. जॉच अधिकारी के नियुक्ति के आदेश क्रमांक एफ.1 ( )संस्था/मदसविवि / 2002 / 349–57 दिनांक 26.12.2002 की प्रति । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–VI)**

4. जॉच अधिकारी द्वारा दिनांक 22.03.2003 को प्रस्तुत जॉच प्रतिवेदन की प्रति । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–VII)**

5. जॉच प्रतिवेदन के निष्कर्षों पर राजस्थान के महाधिवक्ता श्री बी.पी. अग्रवाल से विधिक परामर्श हेतु किए गए निवेदन क्रमांक एफ.1 ( ) संस्था/मदसविवि/2006/1075 दिनांक 18.03.2006 की प्रति । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–VIII)**

6. महाधिवक्ता, राजस्थान द्वारा पत्र क्रमांक एजी/ पीएस/ फीस/ लीगल/ओपिनियन/2006 दिनांक 20.06.2006 के अन्तर्गत प्रदत्त विधिक परामर्श की प्रति । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–IX)**

7. बोर्ड की निर्णय सं. 14 दिनांक 26.6.2006 की अनुपालना में डॉ. एन.एम. खण्डेलवाल को दिए गए कारण बताओ नोटिस क्रमांक एफ.( ) कुलसचिव/ मदसविवि/2006/1445 दिनांक 05.10.2006 की प्रति । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–X)**

8. उक्त कारण बताओं नोटिस के उत्तर में डॉ. खण्डेलवाल द्वारा दिए गए प्रत्युत्तर की प्रति । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ– XI)**

निर्णय **प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार कर बोर्ड ने डॉ. एन.एम. खण्डेलवाल के सम्बन्ध में जॉच रिपोर्ट एवं विधिक राय के मध्यनजर निर्णय किया कि, डॉ. खण्डेलवाल को उपार्जित अवकाश के बदले नकद भुगतान नहीं किया जाय । सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा अंशदान की राशि का नियमानुसार भुगतान कर दिया जाय । यदि ग्रेच्यूटी देय बनती है तो उसके संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जाए ।**

मद संख्या 6 राज्य सरकार एवं प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयो मे की गई सेवा की गणना पेंशन लाभ के लिये किये जाने हेतु प्राप्त सेवानिवृत्त कार्मिको के अभ्यावेदनों पर विचार कर अपनी संस्तुतियाँ देने हेतु प्रबन्ध बोर्ड की निर्णय संख्या 57 दिंनाक 04.07.2009 द्वारा प्रो0 रमाकान्त की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिंनाक 19.11.2009 का कार्यवृत्त **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–XII)** पर विचार करना । **संस्थापन**

निर्णय **प्रबंध बोर्ड ने निर्णय लिया कि प्रत्येक कार्मिकवार यथा– शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी के प्रतिवेदनों पर समिति द्वारा पृथक–पृथक विचार कर संस्तुति प्रबन्ध बोर्ड में प्रस्तुत की जावें ।**

मद संख्या 7 विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 37(1) के अनुसार वित्त समिति के सदस्य के रूप मे प्रबंध बोर्ड द्वारा नाम निर्देशित करना । **विवले**

निर्णय **वित्त समिति के सदस्य के रुप में प्रो. रमाकांत का नाम निर्देशित किया।**

मद संख्या 8 विश्वविद्यालय के अध्यादेश 86 (बी) (2) के प्रावधान में निम्नानुसार संशोधन किये जाने पर विचार करना : **परीक्षा**

वर्तमान में विद्यमान प्रावधान	**प्रस्तावित संशोधित प्रावधान**
A Candidate who has passed Ist year/part-Ist Examination as a regular student from any University/Autonomous college(s) established by statutory provisions may be granted admission to IInd year/part-II Examination in Faculty of Arts, Social Science, Commerce, Science, excluding Agriculture & Sanskrit Studies of the University by the Vice-Chancellor on the recommendation on the Dean of the Faculty, considered on such terms and conditions as laid down by the Dean and the existing provisions with regard to IIIrd year/part-III as laid down in the existing Ord.86 B may continue.	A Candidate who has passed Ist year/part-Ist Examination as a regular student from any University/Autonomous college(s) established by statutory provisions may be granted admission to IInd year / part-II Examination in Faculty of Arts, Social Science, Commerce, Science, **Management studies, Vedic Studies, Journalism & Mass Communication, Education** of the University by the Vice-Chancellor on the recommendation of the Dean of the Faculty concerned on such terms and conditions as laid down by the Dean and the existing provisions with regard to IIIrd year/part-III as laid down in the existing Ord. 86 B (1) (a) & (b) may continue.

निर्णय **उपर्युक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।**

मद संख्या 9 विश्वविद्यालय में 1987 से राजस्थान विश्वविद्यालय की हैण्डबुक के अध्यादेश तब तक के लिए प्रभावशील किए गए थे, जब तक, इस विश्वविद्यालय के अध्यादेश न बन जाएँ । म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर Conditions of Service etc. of Employees नियम प्रबन्ध बोर्ड द्वारा 27.06.1998 को लागू किए गए, जिनमें राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यादेशों में समाहित कुछ सेवा शर्तो का समावेश कर लिया गया । अभिलेख से यह स्पष्ट नहीं होता कि, अध्यादेश 384–A, जो निम्नानुसार है, उसे प्रभावशील रखा गया है अथवा विलोपित किया गया है क्योंकि इस अध्यादेश का प्रावधान सेवा शर्तो में नहीं किया गया है और न ही इस अध्यादेश को विलोपित करने का निर्णय किया गया है: **संस्थापन**

O.384-A "The syndicate may permit a University employee to contest election in lok Sabha/Vidhan Sabha, Civil Bodies by granting him whatever relief, including leave without pay, to which he is entitled to under the Leave Rules in force. An employee who is elected/nominated to Lok Sabha or Vidhan Sabha will required to take leave of absence during his term as member. During the period of his membership he will not lose his seniority and increments."

अतः उक्त अध्यादेश 384-A को इस विश्वविद्यालय की सेवा शर्ते नियम के नियम 36 के अन्तर्गत प्रभावशील रखने पर विचार करना ।

निर्णय **स्वीकार किया गया।**

मद संख्या 10 विश्वविद्यालय के सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा पुस्तकालय हेतु स्वीकृत एवं रिक्त पुस्तकालयाध्यक्ष एवं सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों को भरने एवं पुस्तकालय हेतु आवश्यक स्टाफ की आवश्यकता बाबत् दिनांक 20.11.2009 को दिये गये प्रतिवेदन **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–XIII)** पर विचार करना । **संस्थापन**

निर्णय **आवश्यकतानुसार प्राथमिकता बताते हुए तथा अन्य विश्वविद्यालयों से जानकारी प्राप्त कर अगली बैठक में रखने का निर्णय किया गया।**

मद संख्या 11 विद्या परिषद की बैठक दिनांक 30 अप्रैल, 2009 के निर्णय सं. 19 की अनुशंसा एवं प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 4 जुलाई, 2009 के मद सं. 27 में प्रदत्त अनुमोदन की अनुपालना में शारीरिक रूप से निशक्त एवं नेत्रहीन (**physically and visually handicapped**) अभ्यर्थियों के लिये विश्वविद्यालय एवं **शैक्षणिक–II**

महाविद्यालयों के विभिन्न शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों पर नियुक्ति हेतु स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता **"Good Academic Record"** में 5 प्रतिशत छूट दिये जाने सम्बन्धी निम्नलिखित प्रावधान विश्वविद्यालय के नियुक्ति एवं पदोन्नति नियमों के अध्याय–।। के नियम 7 के तहत् शेड्यूल–। में उल्लिखित Professor, Associate Professor, Assistant Professor पदों पर नियुक्ति हेतु व नियम 14 के तहत् शेड्यूल–।।। में Registrar, Dy. Registrar, Asstt. Registrar, University Librarian, University Asstt. Librarian एवं Director of Physical Education & Sports अध्यादेश 53(II) पदों पर नियुक्ति हेतु एवं सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में विभिन्न शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों पर नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय के अध्यादेशों में उल्लिखित Lecturer के पदों पर नियुक्ति हेतु अध्यादेश 53 (I), Director, Physical Education & Sports हेतु अध्यादेश 53(II), Principal के पद हेतु अध्यादेश 54, एवं College Librarian के पद हेतु अध्यादेश 57 में जोडे जाने पर विचार कर निर्णय करना ।

"A relaxation of 5% (i.e. from 55% to 50%) of marks at Master's level and 5% relexation at Graduate level will be allowed under the term of "Good Academic Record" at par with SC/ST candidates to the physically and visually handicapped candidates as per UGC resolution dated 24th February, 2009 as conveyed vide letter No.F.3-1/2000(PS)P/H dated 19th March, 2009 of the Under Secretary, University Grants Commission, New Delhi.

निर्णय **स्वीकार किया गया।**

मद संख्या 12 डॉ. एन. सी. पारख, सेवानिवृत प्राचार्य को कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1 ( ) संस्था/मदसविवि/2009/46712/दिनांक 01.10.2009 के तहत सत्र 2009–10 के लिए निदेशक, छात्र परामर्श के रूप मे कार्य ग्रहण करने की दिनांक से रू. 8000/–प्रति माह के मानदेय पर नियुक्त किया गया (इन्होंने कार्य ग्रहण नहीं किया है) विश्वविद्यालय मे प्रोफसर के पद पर (रू. 16400–22400) से सेवानिवृत्त शिक्षको को रू. 10,000/–प्रति माह के मानदेय पर नियुक्ति की जाती है। **संस्थापन**

डॉ.एन. सी. पारख, सेवानिवृत्त प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ब्यावर के पद से सेवानिवृत्त हुए है । सेवानिवृत्ति के समय इनको दिया जा रहा वेतनमान प्रोफेसर के पद के वेतनमान के समान ही रू. 16400–22400 था, अतएवं डॉ. पारख की निदेशक, छात्र परामर्श के रूप मे की गई उक्त

नियुक्ति मे इनका मानदेय कार्य ग्रहण करने की दिनांक से रू. 8000/– के स्थान पर रू. 10,000/– प्रति माह किये जाने हेतु विचार करना।

निर्णय **स्वीकार किया गया।**

मद संख्या 13 राजस्थान सरकार के वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 (2) एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006, जिसके द्वारा दिनांक 20.01.2006 से राजस्थान सेवा नियम, 1951 में संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं, उन संशोधनों के आधार पर विश्वविद्यालय के "The Maharshi Dayanand Saraswati University, Ajmer Conditions of Service etc. of employees" में निम्नांकित संशोधन दिनांक 20.01.2006 से प्रवृत्त किए जाने पर विचार करना । **संस्थापन**

The following new provision "13(A) Probationer-trainee" may be inserted below existing Rule 13:

RULE 13(A) PROBATIONER TRAINEE

(1) Probationer-trainee:means a person appointed through direct recruitment against a clear vacancy in the cadre of service and placed under training on fixed remuneration for a period of two years or extended period, if any.

(2) Notwithstanding anything contained in any rules all appointments in University on or after 20-01-2006 shall be made as a probationer trainee for a period of 2 years and during the period of probation training, he/she will be paid fixed remuneration at such rates as may be prescribed by the Government from time to time. After successful completion of probation training he/she will be allowed minimum pay in the pay scale of the post and the period of probation training shall not count for grant of annual grade increments(s).
Provided further also that a government servant, who is already in regular service of State Government, if appointed as probationer trainee for a period of two years on or after 20-01-2006 shall be allowed pay in his/her own pay scale of the previous post or fixed remuneration at such rates as may be

prescribed by the Government from time to time, whichever may be beneficial to him/her and be fixed in pay scale of the new post as per provisions of Rule 26 of Rajasthan Service Rules, 1951.

(3) Probationer-trainee shall earn no leave during the period of probation.

(4) Female probationer-trainee shall be granted Maternity Leave as per Rule 103 & 104 of Rajasthan Service Rules, 1951.

निर्णय **वर्तमान नियमों के आधार पर ही लागू करें । वेतनवृद्धि के लिए परीक्षण करवा लिया जाय ।**

मद संख्या 14 प्रबन्ध बोर्ड के निर्णय संख्या 10 दिनांक 04.07.2009 द्वारा विश्वविद्यालय वित्त समिति की दिनांक 09.01.2009 को सम्पन्न बैठक की संस्तुति संख्या 6(घ) का अनुमोदन किया जिसके अनुसार "विश्वविद्यालय के ऐसे शिक्षक/ अधिकारी/ कर्मचारी जिन पर विश्वविद्यालय पेंशन विनियम 1990 प्रभावशील है, के लिए सृजित पेंशन निधि में संबंधित कार्मिक के पद के रनिंग पे–बैण्ड के अधिकतम वेतन की राशि की 12 प्रतिशत राशि, प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय अंशदान के रूप में जमा की जाएगी।"

विवले

राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के नोटिफिकेशन नं0 एफ. (2)वित्त/नियम/05 भाग 1 दिनांक 23.07.2009 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (संशोधन) नियम, 2009 दिनांक 01.01.2009 से प्रभावी करते हुए पेंशन अंशदान की दर में यह परिवर्तन किया है कि "कार्मिक के रनिंग पे–बैण्ड में वेतन, ग्रेड–पे तथा महंगाई भत्ते की राशि के योग की 10 प्रतिशत राशि, प्रतिमाह पेंशन अंशदान के रुप में जमा की जाएगी। कार्मिक की 15 दिवस से अधिक की कार्यावधि को पूर्ण माह माना जाएगा तथा 15 दिवस तक की कार्यावधि को छोड़ दिया जाएगा।"

अतः विश्वविद्यालय के ऐसे कार्मिकों जिन पर विश्वविद्यालय पेंशन विनियम, 1990 प्रभावशील है, के लिए प्रबन्ध बोर्ड की निर्णय संख्या 10 दिनांक 04.07.2009 के स्थान पर राज्य सरकार के उक्त प्रावधान के अनुसार प्रतिमाह रनिंग पे–बैण्ड में वेतन, ग्रेड–पे और महंगाई भत्ते की राशि के योग की 10 प्रतिशत की राशि, विश्वविद्यालय द्वारा पेंशन अंशदान के रूप में दिनांक 01.01.2010 से जमा कराए जाने पर विचार करना।

निर्णय **स्वीकार किया गया तथा 01 अप्रैल, 2010 से प्रभावी किया जाए ।**

मद संख्या 15 एकेडमिक स्टाफ कॉलेज के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश (2007–2012) की अवधि में एकेडमिक स्टाफ कॉलेज के संचालन के लिए अनुच्छेद 3.5 (b) के प्रावधान के अनुसार आयोग द्वारा निम्नांकित अशैक्षणिक स्टाफ दिये जाने का प्रावधान है:– **संस्थापन**

क्र.सं.	पद	पदों की संख्या
1	अनुभागाधिकारी	01
2	वरिष्ठ सहायक	01
3	कनिष्ठ सहायक	01
4	कम्प्यूटर सहायक	01
5	लाइब्रेरियन अथवा टेक्निशियन	01
6	स्टेनो टाईपिस्ट/कम्प्यूटर ऑपरेटर	01
7	सहायक कर्मचारी	01
8	होस्टल अटेन्डेन्ट	01

(उन एकेडमिक स्टाफ कॉलेज के लिए जिनके पास स्वतंत्र रूप से अपनी निवास/हॉस्टल सुविधाएँ हैं)।

वर्ष 2007 से 2012 की अवधि में उपर्युक्त स्टाफ का दायित्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वहन किया जायेगा उसके पश्चात् इन पदों का वित्तीय दायित्व संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा वहन करना होगा।

इन प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए एकेडमिक स्टाफ कॉलेज के लिए उपर्युक्त अशैक्षणिक पदों का सृजन किये जाने पर विचार करना।

निर्णय **प्रबंध बोर्ड ने निर्णय किया कि एक बार इन पदों की आवश्यकतानुसार प्राथमिकता का परीक्षण कर अगली बैठक में रखें।**

मद संख्या 16 विद्या परिषद् की निर्णय संख्या 17 दिनांक 12.09.2008 के अनुसार विश्वविद्यालय में दो प्रकार की शोध अध्ययेत्तावृति एवं आर्थिक सहयोग हेतु लागू किए जाने के सम्बन्धित प्रस्तावित अध्यादेश **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–XIV)** पर विचार करना । (परिशिष्ठ पृथक से प्रेषित किया जायेगा) **शोध**

निर्णय **विश्वविद्यालय में दो प्रकार की शोध अध्ययेत्तावृत्ति एवं आर्थिक सहयोग हेतु विभागीय शोध अध्ययेत्तावृत्ति के लिए रु. 5000/– व विश्वविद्यालय सामान्य शोध अध्ययेत्तावृत्ति (परिसर स्थित प्रत्येक संकाय में एक) के लिए राशि रू0 6000/– करने की स्वीकृति प्रदान की गई। कार्यसूची के परिशिष्ठ को प्रवृत्त करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया ।**

मद संख्या 17 दिनांक 10 जून, 2009 को सम्पन्न विद्या परिषद् की 42वीं बैठक के कार्यवृत्त के मद संख्या 13 व 14 पर विचार करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–XV)** **शैक्षणिक–I**

निर्णय **विद्या परिषद् की 42वीं बैठक दिनांक 10.06.2009 के मद संख्या 13 व 14 के निर्णय को कार्यवृत्त के परिशिष्ठ–II के अनुसार स्वीकार किया ।**

मद संख्या 18 **माननीय कुलपति महोदय के निम्नांकित प्रतिवेदित आदेशों का अभिलेखन एवं पुष्टि करनाः–** **संस्थापन**

(1) **प्रतिवेदन है कि**, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के कार्मिकों के वेतन एवं भत्ते नियमों के नियम सं. 21 के प्रावधान के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के हित में, विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर एवं व्यावसायिक परीक्षाओं के आयोजन को ध्यान में रखते हुए तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विश्वविद्यालय में अधिकारियों की कमी है, रिक्त पदों को पदोन्नति से अथवा नियमानुसार नियुक्ति से भरने पर रोक है, माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार श्री जी.एन. माहेश्वरी, सेवानिवृत्त सहायक कुलसचिव, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर को दिनांक 2 जनवरी, 2010 से 6 माह की अवधि के लिए सहायक कुलसचिव के रिक्त हुए पद पर पुनर्नियुक्त किया गया है। श्री माहेश्वरी को म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर के कार्मिकों के वेतन एवं भत्ते नियमों के नियम संख्या 22 के अनुसार वेतन देय होगा। तद्नुसार, कार्यालय आदेश क्र.एफ.1 ( )संस्था/मदसविवि/ 2009/9347 दिनांक 31.12.2009 जारी किया गया। (**परिशिष्ठ–XVI**)

निर्णय **पुष्टि की गई ।**

मद संख्या 19 श्री जी एन माहेश्वरी, सहायक कुलसचिव द्वारा स्वयं की रीढ की हड्डी के उपचार के दौरान दिनांक 4.1.2001 से 17.8.2001 की अवधि में अजमेर से जयपुर और जयपुर से अजमेर टैक्सी एवं एम्बुलैंस (एक बार) से की गई यात्रा के डुप्लीकेट बिलों का विश्वविद्यालय के चिकित्सा परिचर्या नियम 1998 के नियम 4(2)(क) "The expenditure as Ambulance charges incurred to carry the patient from residence to a hospital and vice versa, or from one Govt. Hospital to another for treatment or examination by the employee shall be reimbursible" में शिथिलता प्रदान करते हुए भुगतान किए जाने पर विचार करनाः **वित्त एवं लेखा**

यात्रा दिनांक	टैक्सी नम्बर	फर्म का नाम	राशि	विवरण
8.3.2001	RJ 09 C 0059	गुप्ता यात्रा कं., अजमेर	900/–	एस.एम.एस. परीक्षण हेतु
23.3.2001	RJ 01 T 0271	गुप्ता यात्रा कं., अजमेर	890/–	परीक्षण एवं भर्ती हेतु
10.5.2001	RJ 14 P 5199	हेमन्त एम्बुलैंस, जयपुर	1168/–	ऑपरेशन बाद डिस्जार्च
25.5.2001	RJ 01 E 223	रोटेरी क्लब, अजमेर	1060/–	परीक्षण हेतु
8.6.2001	RJ 01 C 8653	गुप्ता यात्रा कं., अजमेर	858/–	परीक्षण हेतु
15.6.2001	RJ 01 E 104	रोटेरी क्लब, अजमेर	1060/–	मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होन हेतु
29.6.2001	RRZ 2866	गुप्ता यात्रा कं., अजमेर	825/–	परीक्षण हेतु
9.7.2001	RJB 4780	गुप्ता यात्रा कं., अजमेर	900/–	परीक्षण एवं एम आर आई
27.7.2001	RJ 01 T 253	रेल्वे स्टेशन टैक्सी स्टेशन यूनियन, अजमेर	900/–	परीक्षण हेतु
13.8.2001	RPF 9850	शर्मा यात्रा कं., अजमेर	825/–	परीक्षण हेतु
17.8.2001	RJ 21 C 2842	गुप्ता यात्रा कं. अजमेर	900/–	मेडिकल बोर्ड के समक्ष फिटनैस हेतु
		कुल योग	**10248**	

निर्णय **उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया।**

मद संख्या 20 महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के कार्मिकों के वेतन एवं भत्ते नियम के नियम सं. 22. fixation of pay of retired persons on re-employment और नियम सं. 23. drawl of increments जो निम्नानुसार हैं, में जहाँ–जहाँ राशि रू. 8000/– प्रति माह रखी गई है इस राशि को छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू किए जाने के फलस्वरूप अधिकारी सेवा एवं शिक्षक सेवा के न्यूनतम वेतनमान की राशि के समान रू.15600/– प्रतिमाह दिनांक 1.1.2006 से किए जाने पर विचार करना : **संस्थापन**

22. Fixation of pay of retired persons on re-employment :

The pay of a person who has retired on Superannuation or Retiring Pension consequent to appointment or re-appointment in the University shall be fixed at the minimum of the pay scale of the post

on which he is appointed/re-appointed with such other allowances admissible as per University rules unless the Vice Chancellor is convinced that (a) no preson is available on the initial of the pay scale of the post concerned; (b) it will be hardship for such an appointee to be fixed at the minimum of the scale. In such cases the pay may be fixed on the basis of the last pay drawn by him less the retirement benefits/pension benefits admissible to the person concerned in such a way that the total emoluments now admissible do not exceed the emolment drawn by him last, and further subject to the condition that pay so fixed plus gross pension taken together shall not exceed Rs.8000/- per month.

23. Drawal of increments :

The re-employed person shall be allowed to draw normal incremetns in the time scale of the post to which he is appointed provided that the pension and gross pension taken together do not at any time exceed Rs.8000/- per month.

निर्णय **उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया । किन्तु वेतन एवं पेंशन की राशि 15600/– से अधिक नहीं हो ।**

मद संख्या 21 प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 27.11.2009 की कार्यसूची के मद सं.18 एवं उस पर लिए गए निर्णय पर प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों एवं कर्मचारियों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए पुनर्विचार करना : संस्थापन

मद सं.18 वर्ष 2005 में वर्ष 1997–98 से 2004–05 तक की अवधि में रिक्त रहे अनुभाग अधिकारी/कार्यालय सहायक/लेखाकार एवं वरिष्ठ लिपिक के पदों पर 66 प्रतिशत (वरीयता कम योग्यतानुसार) विभागीय पदोन्नति समिति और 34 प्रतिशत पदों पर (योग्यता कम वरीयता अनुसार) विभागीय चयन समिति आयोजित करके वर्षवार पदोन्नति के स्थान पर वर्ष 2005 से पदोन्नति दिए जाने के कारण इस अवधि में रिक्त पदों की नियमानुसार वर्षवार विभागीय पदोन्नति समिति/विभागीय चयन समिति की बैठक आयोजित करने पर विचार करना।

निर्णय : **उक्त प्रस्ताव को इस शर्त के साथ स्वीकार किया गया कि 'अभी तक जो भी पदोन्नति हो चुकी है वह यथावत रहेगी एवं वर्ष 2005–06 से वर्षवार पदोन्नति की जाये।**

निर्णय **उक्त निर्णय पर पुनर्विचार कर निर्णय किया गया कि वर्ष 2005 में वर्ष 1997–98 से 2004–05 तक की अवधि में रिक्त रहे अनुभागाधिकारी/कार्यालय सहायक/लेखाकार एवं वरिष्ठ लिपिक के पदों पर 66 प्रतिशत (वरीयता कम योग्यतानुसार) विभागीय पदोन्नति समिति और 34 प्रतिशत पदों पर (योग्यता कम वरीयता अनुसार) विभागीय चयन समिति आयोजित करके वर्षवार पदोन्नति के स्थान पर वर्ष 2005 से पदोन्नति दिये जाने के कारण इस अवधि (वर्ष 1997–98 से वर्ष 2004–05 तक) में रिक्त पदों की नियमानुसार वर्षवार विभागीय पदोन्नति समिति/ विभागीय चयन समिति की बैठक आयोजित की जाए तथा यह भी निर्णय लिया गया कि एरियर का भुगतान नहीं किया जायेगा।**

मद संख्या 22 विश्वविद्यालय के सहायक कर्मचारियों को वर्तमान में देय वर्दी अलाउन्स रू. 910/– प्रति कार्मिक ठण्डी वर्दी के लिए प्रति वर्ष और गर्म वर्दी के लिए दो वर्ष में एक बार सत्र 2002–03 से दिया जा रहा है । कर्मचारियों की मांग कि वर्दी अलाउन्स की उक्त राशि में 50 प्रतिशत की वृद्धि की जाए, पर विचार करना । **सामान्य प्रशासन**

निर्णय **राज्य सरकार से उनके यहाँ पर दिये जा रहे उक्त अलाउन्स की राशि के बारे में जानकारी की जावे एवं अन्य विश्वविद्यालयों से भी जानकारी प्राप्त कर अगली बैठक में विचार हेतु प्रस्तुत करें ।**

मद संख्या 23 विश्वविद्यालय के सहायक कर्मचारियों को वर्तमान में देय जूता अलाउन्स राशि रू0 234/– प्रति कर्मचारी, सैण्डल अलाउन्स राशि रू0 110.50 (प्रति महिला कर्मचारी) मोजा अलाउन्स रू. 32.50 प्रति कर्मचारी, धुलाई भत्ता रू. 59/– प्रतिमाह और मशीनमैन को एप्रिन अलाउन्स रू. 300/– प्रतिवर्ष सत्र 2002–03 से दिया जा रहा है । इन राशियों में, कर्मचारियों की मांग कि 50 प्रतिशत की वृद्धि की जाए, पर विचार करना । **सामान्य प्रशासन**

निर्णय **राज्य सरकार से उनके यहाँ पर दिये जा रहे उक्त अलाउन्स की राशि के बारे में जानकारी की जावे एवं अन्य विश्वविद्यालयों से भी जानकारी प्राप्त कर अगली बैठक में विचार हेतु प्रस्तुत करें ।**

मद संख्या 24 विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को छठें वेतन आयोग में निर्धारित मूल वेतन के 50 प्रतिशत की राशि ओवरटाईम अलाउन्स दिए जाने की कर्मचारियों की मांग पर विचार करना । **सामान्य प्रशासन**

निर्णय **उक्त प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित समिति का गठन किया गया :–**

1. **प्रो. के.सी. शर्मा, प्रबन्ध बोर्ड सदस्य**
2. **प्रो. पी. एस. वर्मा, प्रबन्ध बोर्ड सदस्य**
3. **श्री एम.एल. पीतलिया, प्रबन्ध बोर्ड सदस्य**
4. **कुलसचिव**

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न की गयी ।

कुलपति कुलसचिव